

23/11/21

वकील वाशि अपास्थित वकील वाशि के
निवेदन किया कि वाशि अपना डाका
वापिस लेना चाहता है इसलिए
दिनांक 22.11.21 को प्रावना पत्र द्वारा
वापिस हेतु लगाया गया है प्रावना
पत्र का अवलोकन किया, वाशि की
पहचान वकील वाशि ने की है।
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 023
R/CPR के तहत वाशि अपना डाका
वापिस लेना चाहता है।

माता आदेश है कि प्राथमिक पत्र वाही
स्वीकार किया जाता है वाही को डाक
विशेष को अनुमति प्रदान की जाती है
विशेष के आधार पर डाक कारिज किया
जाता है परन्तु कुसल सुभाष देव
शास्त्री दफ्तर ही आदेश सुनाया गया

h2
उपसभ्यधिकारी
धौलपुर (राज)